

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-१९२/२०१३

CIS NO.-TS-504/2018

मृतक उमरावती देवी के विधिक वारिसान एवं अन्य.....वादीगण
बनाम

अनिल कुमार मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
03.11.2023	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.09.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई आदेश हेतु नियत है।</p> <p><u>आदेश (ORDER)</u></p> <p>वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-०४ लुकमान अंसारी की मृत्यु दिनांक 30.06.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं०-०४ लुकमान अंसारी के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे विधवा सलमुन नेशा तथा दो पुत्र समशाद अंसारी एवं नौशाद अंसारी तथा चार पुत्री अंजुम खातुन, सबाना खातुन, तम्मना खातुन एवं तबसुम खातुन को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं०-०४ लुकमान अंसारी का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है।</p> <p>प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-०४ लुकमान अंसारी की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। वादीगण के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत</p>	

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं०-१९२/२०१३

CIS NO.-TS-504/2018

मृतक उमरावती देवी के विधिक वारिसान एवं अन्य.....वादीगण
बनाम

अनिल कुमार मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 03.11.2023</p>	<p>प्रतिवादी सं०-०४ लुकमान अंसारी का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षाएँ दाखिल करें।</p> <p>वाद दिनांक ११.१२.२०२३ को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p>लेखापित</p> <p>अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज</p>	
------------------------------	---	--